अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 589(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करके भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये 01 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 में (इसके आगे अपर्युक्त नियमों के रूप में संदर्भित), उप-नियम(1) के भाग घ के खण्ड (i) में, "वेतन बैंड-4 : 37400-67000 रूपए; जमा ग्रेड वेतन 12000 रूपए ;" शब्दों और अंकों के लिए "एचएजी वेतनमान: 67000-(3% दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. उपर्युक्त नियमों के नियम 5 में, उप-नियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(6) सेवा के सदस्य की प्रथम अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर चयन ग्रेड में, अथवा द्वितीय अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर प्रथम अधिसमय वेतनमान में वेतन का निर्धारण, उप-नियम (2) में दिए तरीके से किया जाएगा और प्रथम और द्वितीय अधिसमय वेतनमान का तद्रूपी ग्रेड वेतन, जैसी भी स्थिति हो, इस वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा ;

(6क) एचएजी वेतनमान में पदोन्नति होन पर द्वितीय अधिसमय वेतनमान में सेवा के किस सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा :-

द्वितीय अधिसमय वेतनमान के वेतन बैंड-4 के वेतन और ग्रेड वेतन के जोड़ की विद्यमान राशि में 10 के अगले गुणज में पूर्ण और परिकलित, विद्यमान वेतन बैंड-4 में वेतन की राशि के 3% के बराबर एक वेतनवृद्धि और ग्रेड वेतन में 2000 रू0 की राशि जोड़ी जाएगी ताकि एचएजी वेतनमान में नये मूल वेतन पर पहुंच जाए जो 67000रूपए न्यूनतम होगा । एचएजी वेतनमान में मूल वेतन वेतनमान के अधिकतम 79000 रूपए से अधिक नहीं होगा ।

(6ख) एचएजी + में नियुक्ति पर एचएजी वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा, अर्थात् :-

उप-नियम 2 में निर्धारित तरीके से एक वेतनवृद्धि जोड़कर, वेतन बैंड में वेतन और विद्यमान ग्रेड वेतन जोड़ा जाएगा और परिणामी अंक, 75500 रू0 के न्यूनतम के अध्यधीन एचएजी + में मूल वेतन होगा । एच ए जी + में मूल वेतन, वेतनमान के अधिकतम 80,000 रूपए से अधिक नहीं होगा ।"

4. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची II में, -

(क) II-क और II-ग में, "वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपए; जमा ग्रेड वेतन 12000 रूपए" शब्द और अंक जहां कहीं आते हैं, के लिए "67000 रूपए – (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000" शब्द और अंक प्रतिस्थापित होंगे ।

(ख) II-घ में, तालिका के, वेतनमान संबंधी कॉलम (2) में, "वेतन बैंड – 4: 37400-67000 रूपए; और ग्रेड वेतन 12000 रूपए" शब्दों और अंकों के लिए "67000 रूपए- (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) – 79000" शब्द और अंक प्रतिस्थापित होंगे।

[फा. सं. 20011/5/2009-अ.भा.से.-II (ख)]
हरजोत कौर, निदेशक

टिप्पणी.— मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 108 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नानुसार सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :

सा.का.नि.सं.	तारीख
692(अ)	27/09/2008
189(अ)	24/03/2009
231(अ)	01/04/2009
497(अ)	07/07/2009

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने अपर पुलिस महानिदेशक के उपरि अधिसमय वेतनमान पर लागू वेतन बैंड-4 : 37400-67000 जमा ग्रेड वेतन 12000 रूपए को, 67000 रूपए – (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000 के एचएजी वेतनमान द्वारा प्रतिस्थापित

करने का निर्णय लिया है । भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 को तद्नुसार 1 जनवरी, 2006 से संशोधित किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी सदस्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।